विधानसभा प्रश्न क्रमांक 536 अतारांकित [24/2/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 536]

कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला उज्जैन

कमांक 161 / व.जि.पं. / शिका. / रीडर / 2021 उज्जैन, दिनांक 06 / 02 / 2021

प्रति,

महानिरीक्षक पंजीयन महोदय,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :– मुझ प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07.08.2020 को रजिस्ट्री करवाई गई जिसमें उप पंजीयक अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्री करने के लिए मुझ प्रार्थी से 35,000/– रूपए की रिश्वत लेकर रजिस्ट्री करी गई के संबंध में प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 27 दिनांक 04.02.2021 ।

———————

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री मोहम्मद हुसैन मुलतानी निवासी 61, शिप्रा मार्ग झुग्गी झोपडी महिदपुर तहसील महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा शिकायत में उल्लिखित किया है कि कि मुझ प्रार्थी के द्वारा दिनाक 07.08.2020 को रजिस्ट्री करवाई गई जिसमें उप पंजीयक अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्री करने के लिए मुझ प्रार्थी से 35,000/– रूपए की रिश्वत लेकर रजिस्ट्री की गयी है ।

उक्त संबंध में शिकायतकर्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में गवाह श्री सगीर बेग पिता श्री रशीद बेग निवासी दिलदारपुरा महिदपुर उपस्थित हुए । उनके द्वारा अपने कथन में उल्लिखित किया गया कि मेरे सामने 35,000/– रूपए नगद दिये । श्री शैलेन्द्र दण्डोतिया जी को दिये तब जाकर उन्होंने रजिस्ट्री करी ।

उक्त संबंध में श्री शैलेन्द्रसिंह दण्डोतिया, वरिष्ठ उप पंजीयक उज्जैन से शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया है कि महिदपुर तहसील के प.ह.नं. 75 के ग्राम बारापत्थर में स्थित सर्वे नंबर 295/2 रकबा 1.504 हैक्टेयर सिंचित से संबंधित दस्तावेज मेरे समक्ष पंजीयन हेतु दिनांक 07.08.2020 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे मेरे द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा 30(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत दस्तावेज के परिवर्णन अनुसार परीक्षण करने एवं उस पर पक्षकार द्वारा उचित शुल्क चुकाया गया होने पर तत्काल पंजीयन किया गया था एवं उसी दिवस में प्रिंट होने पर दस्तावेज संबंधित पक्षकार को दिया गया था । दस्तावेज के साथ प्रमाणिक राजस्व अभिलेखों तथा भू अधिकार पुस्तिका एवं चालू वर्ष का खसरा अपलोड होने एवं उसमें प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि दर्ज होने के कारण उसके आवासीय भूमि होने का कोई वैधानिक कारण नहीं बनता था । अतः इस प्रकार की कोई बात पक्षकार से कहना अवैधानिक होने के कारण नहीं की गई एवं ना ही इस

कमशः–2

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यक कर विभाग

Scanned with CamScanner

प्रकार की कोई अतिरिक्त राशि की अवैधानिक मांग गैर द्वारा की गई । दस्तावेज के पंजीयन के 1 माह से भी अधिक समय उपरांत इस तरह की अनर्गल एवं तथ्यहीन शिकायत करने तथा अपनी शिकायत के प्रमाण में अन्य कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न कराने के परिप्रेक्ष्य एवं उक्त समस्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट है कि रूपए 35,000/– की रिश्वत की मांग की शिकायत असत्य एवं बदनाम कर मेरी व कार्यालय की छवि को धूमिल करने की पश्चातवर्ती सोच प्रतीत होती है । अतः असत्य एवं तथ्यहीन शिकायत को नस्तीबद्ध करने का निवेदन किया गया है ।

उक्त शिकायत के संदर्भ में उप पंजीयक, महिदपुर से भी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । उप पंजीयक, महिदपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लिखित किया है कि विक्रय पत्र में वर्णित संपत्ति का मौका देखा गया । वर्णित संपत्ति ग्राम बारापत्थर में स्थित होकर कृषि भूमि है । दस्तावेज में जो क्षेत्र दर्शाया गया है, उसी अनुसार गाईड लाईन से उचित मूल्यांकित होकर शुल्क चुकाया गया है ।

उपरोक्त की गयी शिकायत, शिकायत के पक्ष समर्थन में प्रस्तुत गवाह एव श्री शैलेन्द्रसिंह दण्डोतिया, वरिष्ठ उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उप पंजीयक, महिदपुर द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया । शिकायतकर्ता द्वारा जो गवाह प्रस्तुत किये गये, वे शिकायतकर्ता के साथ ही उपस्थित हुए, उनकी गवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है । शिकायतकर्ता द्वारा अन्य साक्ष्य जैसे की फोटो, रिकॉडिंग आदि कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उप पंजीयक के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि जिस दिवस को दस्तावेज पंजीयन हेतु पक्षकार प्रस्तुत हुए, उसी दिवस में उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज का पंजीयन कर दस्तावेज भी पक्षकार को प्रदाय कर दिया गया था । शिकायतकर्ता द्वारा पंजीयन के एक माह पश्चात् कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गयी है ।

दस्तावेज का पंजीयन नियमानुसार व उचित शुल्क पर होने एवं शिकायतकर्ता द्वारा ठोस साक्ष्य न प्रस्तुत करने से शिकायत निराधार प्रतीत होती है। अतः शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है ।

उक्तानुसार प्रतिवेदन श्रीमान् की ओर सादर प्रेषित ।

जिला पंजीयक
जिला उज्जैन (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यक कर विभाग

Scanned with CamScanner